


24/2012 मॉडर्न - व्हीगन

दिनांक	आज्ञा पत्र
21-3-18	<p>बार-बार कावाज दिलाई गई कंप्लेंट एवं कंप्लेंट के वकील कोर्ट हाजिर नहीं होय कतः कदम हाजरी एवं कदम फेरवी साधित होने से कंप्लेंट रिकॉरिज की जाती है। पचावली बंद तदतीब तखमील दानवल दफ्तर है। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> प्रबन्ध अधिकारी एवं पुनः राखण शरील अधिकारी सीकर</p>

सत्यमेव जयते  
Web Copy - Not Official